repair, maintenance and servicing etc. As the non-conventional energy sources are widespread, the employment generation would be in rural, semi-urban and urban area on a highly decentralised scale. The area of production and utilisation of new and renewable sources of energy has got enormous potential of self-employment with low capital investment across the country.

Statement

Central plan allocations for non-conventional energy sources as recommended by planning commission for the year 1992-93

(Rupees in Crores)

S. No.	Programmes	Outlay 1992-93 (Tentative)
1	2	3
1	NPBD (Incl. R&D, CBP/IBP)	60.00
2	Improved Chulha (Incl. of Re. 1 crore for Special Area Projects)	1600
3	Solar Thermal (Incl. SEC)	12.00
4	Solar Phovoltaic	9.00
5	Wind Energy	10.00
6	Urjagram	0.25
7	Boimass	3.00
8	HAEP (Human & Animal Energy Programme)	0.10
9	Urb./Agri. Wastes (Inclusive of Rice Straw Agro-thermal Power Plant (Punjab)	1.75
10	Alternate fuels	1.00
11	M.H.D. (Megneto Hydro-Dynamic)	0.50
12	Geo. Thermal Energy	0.08
13	Chem. Energy	0.22
14	Ocean Energy	—
15	Hydrogen Energy	0.25
16	Micro/Hydel	8.00
17	IREDA	4.00
18	Reg. Off. etc.	0.70
19	Information & Publicity	1.00
20	Seminars/Conference	0.05
21	International Cooperation	0.07
22	Data Bank/TIFAC	0.03
23	Eng. Conserv.	—
	TOTAL:	Rs. 128.00

NPBD=National Project on Biogas Development
IREDA=Indian Renewable Energy Development Agency
Reg. Off.=Regional Offices.
Eng. Conserv.=Energy Conservation.

बिहार की विद्युत परियोजनाएं

1984. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की कितनी विद्युत परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास विचार के लिए लम्बित हैं; और

(ख) उनको कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की सम्भावना है?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) ब्यौरा निम्नवत् है :—

क्र०सं०	परियोजना का नाम	वर्तमान स्थिति
1	पतरातू विस्तार चरण-5 (2×210 मेगावाट)	परियोजना प्राधिकारियों द्वारा ईंधन लिंकेज, सम्बद्ध पारेषण प्रणाली, पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति और जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा-29 के प्रावधानों का भी अनुपालन किया जाना है।
2	मुजफ्फरपुर विस्तार चरण-2 (2×210=420 मे०वा०) (2×250=500 मे०वा०)	प्रथम दृष्टया स्कीम की व्यवहार्यता को स्वीकार योग्य पाया गया था। तदनुसार 8.8.1991 को राज्य को सूचित कर दिया गया तथा अद्यतन अनुमानों सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजे जाने और कुछ निवेशों/स्वीकृतियों को सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध किया गया था।
3	चांडिल (मैसर्स आरपीजी एंटरप्राइजिज) (2×250=500 मे०वा०)	मैसर्स आरपीजी एन्टरप्राइजिंग को 24.12.1991 को यह सूचित किया गया था कि मैसर्स चाण्डिल इलैक्ट्रिक्स सप्लाई कारपोरेशन द्वारा निजी क्षेत्र में संयंत्र की स्थापना किए जाने को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है। उनसे अनुरोध किया गया था कि 6 महीने के भीतर विभिन्न निवेशों को सुनिश्चित कर लें ताकि इस स्कीम पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से औपचारिक स्वीकृति हेतु कार्रवाई की जा सके।